भ्रष्ट आचरण के बारे में अर्जी स्वीकार करने के लिए धारा 8क के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

का0आ0367(अ), तारीख 25 मई, 1976-- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार----

(क) लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में, उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की दशा में, यथास्थिति, लोक सभा के महासचिव या राज्य सभा के महासचिव को, और

(ख) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में, उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की दशा में, यथास्थिति, राज्य की विधान सभा के सचिव या राज्य की विधान परिषद् के सचिव को,

पूर्वोक्त धारा 8क की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है ।

[भारत के राजपत्र, असाधारण, 1976, भाग 2, खण्ड 3, उपखंण्ड (ii), पृष्ठ 1717 में प्रकाशित ।]